भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1813

उत्तर देने की तारीख 13 दिसम्बर, 2023

आपातकालीन सावधानी सूचक मैसेज

1813. श्री रामदास तडस:
श्री तेजस्वी सूर्या:
डॉ. ढालसिंह बिसेन:
श्री रमेश बिधुड़ी
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री संजय सेठ:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आमजन के उपकरणों पर आपातकाल में भेजे गए मैसेज उनकी गोपनीयता के लिए खतरा है;

(ख) उन देशों की तुलना में जहां ऐसी प्रौद्योगिकी पहले से ही प्रयुक्त हो रही है इन सावधानी सूचक मैसेज को पाने वाले मोबाइल फोनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश आपातकालीन सावधानी सूचक प्रणाली पर आधारित सेल ब्रॉडकास्टिंग से सुसज्जित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (घ) संचार प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गृह मंत्रालय और संचार मंत्रालय ने संयुक्त रूप से नागरिकों को संभावित आपदाओं के बारे में सतर्क करने के लिए समेकित चेतावनी तंत्र ''सचेत'' विकसित किया है।

इस तंत्र का उपयोग करके नागरिकों को सतर्क करने के लिए संक्षिप्त संदेश सेवा (एसएमएस) भेजा जाता है।

यह तंत्र अगस्त, 2021 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियाशील है और अब तक कुल 1,359 करोड़ एसएमएस भेजे जा चुके हैं।

आपदा संबंधी जागरूकता को और बढ़ाने के लिए दोनों मंत्रालय आपातकालीन सावधानी सूचक मैसेज के आधार पर सेल ब्रॉडकास्टिंग विकसित करने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। यह तंत्र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर मोबाइल उपकरणों पर महत्वपूर्ण और समय-बद्ध आपदा प्रबंधन सूचना प्रसारित करता है। इस तंत्र को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और इसका व्यापक परीक्षण किया जा रहा है।

इन दोनों तंत्रों को सूचना का प्रसार सुनिश्चित करने और जान बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनसे व्यक्ति की निजता को कोई खतरा नहीं है।

*****